प्रेसनोट थाना छत्ता जनपद आगरा। 15.10.2021

थाना छत्ता पुलिस टीम द्वारा शारीरिक शोषण कर फोटो वायरल करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार...

दिनांक 09.09.2021 को वादिया द्वारा थाना छत्ता पर तहरीर दी गयी कि मैंने वर्ष 2017 में बल्केश्वर में प्रवेश लिया था, जहां पर सीनियर छात्र मनीष दिवाकर द्वारा रैगिंग से बचाने, पढ़ाई में सहयोग करने के नाम पर अपने बातों में फंसाते हुए गलत काम किया और अपने मोबाइल में आपत्तिजनक फोटो ले लिये। मुझसे शादी करने की कहता रहा। अब लगभग 02 वर्ष अभियुक्त मेरे फोटो वायरल करने की कह पैसे लेता रहा। अब अभियुक्त द्वारा फोटो वायरल करने की कहते हुए 02 लाख रूपयों की मांग कर रहा है। अभियुक्त ने मेरे नाम से फेसबुक पेज पर आईडी बनाकर मेरे फोटो पोस्ट कर दिये और मेरे पड़ोसियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी, जिससे समाज में मेरी बदनामी हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना छत्ता पर मु0अ0सं0 124/21 धारा 385/386/506 भादवि /67बी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

दिनांक 15.10.2021 को पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में की जा रही चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी की उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मनीष दिवाकर जवाहरपुल के पास खड़ा है और कही जाने की फिराक में हैं। इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम बताये स्थान पर पहुंच एक बारगी दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के कब्जे से एक अद्द मोबाइल बरामद हुआ।

➢ गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

01. मनीष दिवाकर पुत्र रामप्रकाश निवासी बापू नगर नगला छिद्दा थाना हरिपर्वत जनपद आगरा।

➢ बरामदगी का विवरण :-

01. 01 मोबाइल ।

➢ आपराधिक इतिहास का विवरण :-

01. मु0अ0सं0 124/21 धारा 385/386/506/376 भादवि व 67बी आईटी एक्ट थाना छत्ता जनपद आगरा।

पुलिस टीम :-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री शेर सिंह मय टीम थाना छत्ता जनपद आगरा।

.

मीडिया सेल जनपद आगरा।